

633
24-10-13

48



R-4160-1113

चन्द्रकृपा अवधिया पुत्री शोभनाथ अवधिया निवासी ग्राम अधियार खोह तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

— निगरानीकर्ता / आवेदिका

बनाम

✓ नंदनी प्रसाद पाण्डेय तनय जुमना प्रसाद निवासी ग्राम करौदिया उत्तर टोला तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 — गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

अधिका. 31. स. लो. अ. अधिका.
द्वारा सुनवाई
रीवा, दि. 24-10-13

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 09-10-13
जरिये प्र0क0 200/अपी0/12-13
न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, रीवा
सम्भाग रीवा म0प्र0
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0मू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

लिंग कोर्ट
इसका कार्य क्षेत्र
(सीधी कोर्ट) रीवा

यह कि प्रकरण के पक्षकारगण जिला सीधी के निवासी हैं जो रीवा से 100 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है । तथा पक्षकारों को सुलभ व रास्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से ही माननीय अपर आयुक्त महोदय, की लिंग कोर्ट की व्यवस्था सीधी जिले में भी की गई है और इसी के तहत अपर आयुक्त महोदय, सीधी लिंग कोर्ट में भी प्रकरणों की सुनवाई करते हैं।

7-11-13

2- यह कि आवेदिका / निगरानी कर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संदर्भित प्रकरण की सुनवाई लिंग कोर्ट सीधी में किये जाने हेतु दिनांक 09-10-13 को प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त किया है कि उभयपक्ष शीघ्र बहस कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि निगरानी अन्दर म्याद है तथा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त कारणों से निवेदन है कि निगरानी स्वीकार करते हुये अपर आयुक्त महोदय, के समक्ष लम्बित अपील क्र0 200/अपी0/12-13 जिसकी पेशी दिनांक 04-11-2013 को नियत है को लिंग कोर्ट सीधी में सुनवाई करने हेतु निर्देशित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

दिनांक 24-10-13

आवेदिका / निगरानी

चन्द्रकृपा अवधिया पुत्री शोभनाथ अवधिया
निवासी ग्राम अधियार खोई तहसील
गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

द्वारा अधिवक्ता

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.

R-4160-11/13 जिला

श्री श्री

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-6-16	<p>आवेदन सूचना उपरोक्त अनुपस्थिति अर्थात् को मार से की जा रही थी आर.डी. शांति उक्त प्रकरण अंतिम नका है।</p> <p>दि 27-6-16</p>	<p>27-6-16 A</p>
27-6-16	<p>उभय पक्ष ने से आवेदन अर्थात् अनुपस्थिति / अना. अधिनियम अर्थात् श्री. शर्म उपाधी, आवेदन को इनके कार आवाज लगायी गई परन्तु उपस्थिति नहीं। उक्त प्रकरण अर्थात् पक्षों में समाप्त किया जाता है।</p>	<p>A</p>